

रिपोर्ट पटवारी विष्णु ताहसील कुराबड जिला उदयपुर

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य सही है। ग्राम सिहाडा  
की खाता संख्या 4, 114, 115, 376 मे प्रार्थी का नाम विष्णु सुधा दर्ज है,  
जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दरतावेजो मे सही नाम विष्णु लाल सुधा दर्ज है। खाते  
मे दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपभ्रंश है। अतः ग्राम सिहाडा की खाता  
संख्या 376 मे दर्ज नाम विष्णु सुधा को बजाय सही इन्द्राज विष्णु लाल सुधा  
दर्ज किया जाना उचित है।

भू अभिलेख निरीक्षक  
प्रमोद

गोपाल सिंह  
पटवारी  
पटवार मण्डल विष्णु  
ताहसील कुराबड जिला-उदयपुर

कार्यालय ताहसीलदार कुराबड जिला उदयपुर

भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सिहाडा  
की जमाबन्दी की खाता संख्या 4, 114, 115, 376 मे दर्ज नाम विष्णु सुधा  
के बजाय सही नाम विष्णु लाल सुधा पिता मनवर लाल दर्ज किया जाना  
उचित है।

गोपाल सिंह  
ताहसीलदार-कुराबड  
ताहसीलदार सेमारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिरा जिला उदयपुर

दिनांक 31/12/25

क्रमांक-242/2025 कमांक/4027

आदेशः

गिरा की रिपोर्ट एवं सलग्न  
दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम ....  
सिहाडा की जमाबन्दी की खाता संख्या 4, 114, 115, 376 मे दर्ज नाम/इन्द्राज...  
विष्णु सुधा के बजाय सही नाम/इन्द्राज विष्णु लाल सुधा पिता  
मनवर लाल दर्ज करने की स्वीकृती प्रदान की जाती है। ताहसीलदार कुराबड आदेशानुसार  
राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी  
गिरा, उदयपुर